



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
Certified with ISO 9001:2015



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan
Rajendra Place, New Delhi - 110008
Phone: 011-25734381, 25745044 Email : rd-delhi@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

फा.स 111-A-22/15/01/Librarian/2022-Admn-2 दिनांक: 28-05-2025

कार्यालय आदेश संख्या 143 वर्ष 2025 प्रशा- 2

विभागीय स्क्रीनिंग समिति आयोजित दिनांक 05.05.2025 की अनुशंसा पर, सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली ने निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के आगे लिखित तिथि एवं वेतन लेवल में एम०ए०सी०पी० योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने का अनुमोदन दिया है:-

S.No.	Name of the official (Sh./Smt./Ms.) Emp. Id.	Designation	Date of joining in ESIC at Level-5 of Pay matrix	1 st /2 nd /3 rd MACP	Date from which Financial Upgradation is granted	Granted grade pay & pay band/matrix level	Present Place of posting
1.	Mahesh Kumar (169997)	Librarian Grade-II	21.07.2017 (Actual) & 12.11.2010 (Notional)	1 st	12.11.2020	Level-6	ESIC Hospital - Okhla

संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एम.ए.सी.पी.) योजना के तहत वित्तीय उन्नयन उपर्युक्त कर्मचारियों के लिए विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत है और उनकी वरिष्ठता की स्थिति के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। इस प्रकार वरिष्ठ कर्मचारी के लिए इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा कि ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारियों को एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत अधिक वेतन मिला है। एमएसीपी के तहत अनुमत वित्तीय हितलाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय कोई नियतन हितलाभ नहीं मिलेगा अर्थात् उच्चतर ग्रेड में कार्यात्मक पद हेतु तैनाती।

उपर्युक्त पदाधिकारी इस आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर एफआर 22 (1) (ए) (i) के तहत गणना के रूप में वेतन नियतन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

हालांकि, एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन, भारत सरकार, डीओपीटी, का.ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था. (डी), दिनांक 19.05.2009 और फा.सं. 35034/3/2015-स्था. (डी), दिनांक 27/28-09-2016 के साथ-साथ मामले में समय-समय पर जारी किए गए स्पष्टीकरण/अनुदेश के तहत गणना किए गए निबंधन और शर्तों के अधीन होगा।

नियंत्रक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करे कि संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिकाओं में उपर्युक्त कार्यालय आदेश की संबंधित प्रविष्टियां की जाएं और वेतन नियतन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाए।

RAJSHEKHAR SINGH
DEPUTY DIRECTOR

प्रतिलिपि

1. संबन्धित कर्मचारी को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
2. संबन्धित कर्मचारी की वैयक्तिक फाइल (स्था०-2), निदेशक (चि) दिल्ली।
3. चिकित्सक अधीशक, क.रा.बी.नि. हॉस्पिटल ओखला।
4. निदेशक, निदेशालय (चि) दिल्ली।
5. डी०पी०सी०-II शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली।
6. ओ.एस.डी. आई.टी सेल(चि),/आईसीटी दिल्ली को वैबसाइट पर अपलोड करने के आग्रह के साथ।
7. गार्ड फाइल।